<u>राजस्थान विधान सभा</u>

<u>प्रथम सत्र</u>

<u>कार्य-सूची</u>

<u>शनिवार, दिनांक 10 जनवरी, 2009</u>

<u>बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे</u>

<u>1. शोकाभिव्यक्ति</u>

श्री दुर्गालाल बाढ़दार, पूर्व सदस्य, तृतीय एवं चतुर्थ राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

<u>2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि वार्षिक प्रतिवेदन</u>

बीना काक, पर्यटन मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड़, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखेंगी ।

<u>3. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव</u>

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, 232(1) सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति "क" , प्राक्कलन समिति "ख" एवं राजकीय उपक्रम समिति प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231(1), सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

<u>4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर</u>

डॉ. रघु शर्मा (वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा :-

> "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

..2..

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

1. बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-3)

"बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

2. महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-4)

"राजस्थान राज्य में महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

3. मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-5)

"राजस्थान राज्य में मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

4.श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-6)

"'राजस्थान राज्य में श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

5. जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-10)

"राजस्थान राज्य में जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

6. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-8)

"राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

7. जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्या-9)

"जोधपुर शहर तथा उसके निकटवर्ती कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर जोधपुर रीजन बनाने, जोधपुर रीजन के समुचित, सुव्यवस्थित तथा सत्वर विकास के लिये योजना बनाने, उनमें समन्वय स्थापित करने और उसका पर्यवेक्षण करने और ऐसे विकास के लिये योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों को निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 09 जनवरी, 2009

नोट :- प्रश्नकाल नहीं होगा ।